बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

दिनांक– .....

विषय :– बिहार राज्य की श्रम नीति–2017।

<u>प्रस्तावना</u>

राज्य के सर्वांगिंण विकास में श्रमिकों की भूमिका अपरिहार्य है। ये श्रमिक चाहे खेत–खलिहानों में कार्य कर रहे हो अथवा कल–कारखानों में, इनकी भूमिका को राज्य के विकास में कमतर कर नहीं आंका जा सकता है। देश एवं दुनिया में राज्य के श्रमिकों को कर्मठ एवं कुशल कार्य प्रबंधन के लिए जाना जाता है। इनके सृजन कौशल के बदौलत ही विश्व मानचित्र पर मॉरिशस, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, सुरीनाम, गुयाना जैसे देशों का उद्भव विकसित/ प्रगतिशील देशों के रूप में हुआ है। उपनिवेशिक काल में अंग्रेजो द्वारा इन सुदूर द्वीपों पर में अधिकांशतः बिहार के श्रमिकों को ''गिरमिटिया'' मजदूर के रूप में गन्नों के खेतों में कार्य करने के लिए ले जाया गया था।

बिहार के श्रमिक भी *उपनिवेशिक* काल से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे हैं। चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों/श्रमिकों का विद्रोह इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, जब बिहार के किसान श्री राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का बिहार आगमन हुआ तथा ''सत्याग्रह'' के सफल प्रयोजन से अंग्रेज सरकार द्वारा चम्पारण कृषक समिति का गठन किया गया था। देश को सर्वप्रथम सत्याग्रह में निहित शक्ति का एहसास हुआ।

राज्य के श्रमिकों के सेवा विनियमन, समाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु कई श्रम अधिनियम एवं योजनाएँ लागू हैं, परंतु इसके अतिरिक्त एक ऐसी ठोस एवं दूरदर्शी श्रम नीति भी आवश्यक है, जो बदलते हुए सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में, न सिर्फ श्रमिक हितों की रक्षा एवं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करे बल्कि एक ऐसा औद्योगिक वातावरण तैयार करे जहाँ श्रम एवं प्रबंधन एक दुसरे के परस्पर सहयोग से राज्य की औद्योगिक उत्पादकता एवं गुणवत्ता में अमूल चूक परिवर्त्तन लाये।

बिहार राज्य की श्रम नीति का सूत्रण राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी को चम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दी जाने वाली सच्ची श्रद्धांजलि होगी तथा उन श्रमिकों के प्रति आभार होगा जो राज्य के विकास में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

ऐतिहासिक पृष्टभूमि

देश में श्रम अधिनियमों का उद्भव अंग्रेजी उपनिवेश काल से जुड़ा हुआ है। हालांकि इन श्रम अधिनियमों का स्वरूप नियामक था परंतु इनका मूल उद्देश्य भारत के कपड़ा मिलों में सस्ते श्रम के कारण मैनचेस्टर एवं लंकाशायर के अंग्रेजी कपड़ा मिलो को मिल रही प्रतिस्पर्धा पर लगाम लगाना था। इसी क्रम में सर्वप्रथम वर्ष 1883 में कारखाना अधिनियम अधिसूचित किया गया तथा भारतीय श्रमिकों के लिए प्रतिदिन आठ घंटे कार्य की अधिसीमा, कारखानों में बाल श्रम निषेध, रात्रि में महिलाओं से कार्य लिए जाने पर रोक, अधिकाल वेतन इत्यादि का लाभ दिया गया।

वैश्यविक परिदृश्य में वर्ष 1886 में शिकागों, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्य अवधि निर्धारित करने हेतु हुए व्यापक प्रदर्शन का भी प्रभाव पड़ा, जहाँ श्रमिक संगठित होकर अपनी मांगों की प्रति प्रखर हुए थे। वही प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात् वसार्य की संधि हस्ताक्षरित की गयी तथा लीग ऑफ नेशन के संस्था के रूप में अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गयी जो 1946 में लीग ऑफ नेशन के अवसान के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बना।

उपनिवेशिक काल में अधिनियमित अधिकांशतः श्रम अधिनियम नियामक स्वरूप के थे। सर्वप्रथम वर्ष 1929 प्रबंधन एवं श्रमिक के बीच संबंधों को नियंत्रित करने हेतु औद्यौगिक विवाद अधिनियम लाया गया था। चूँकि आजाद भारत में श्रम एवं पूंजी के परस्पर गतिरोध के जगह परस्पर सहयोग की नीति अपनाई गयी। अतः 1929 अधिनियम को निरसन कर औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 लागू किया गया। वर्ष 1923 में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम लागू किया गया जो देश में न्यायियक प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमिकों को कार्य स्थल पर दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा पहुँचाने का महत्वपूर्ण कदम था। वर्ष 1926 में श्रमिक संघ अधिनियम, वर्ष 1936 में मजदूरी भुगतान अधिनियम, वर्ष 1946 में औधौगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, अधिसूचित किया गया। वर्ष1929 में गठित **रॉयल लेबर कमीशन** के अनुसंशा के आलोक में भी कई कदम उठाये गये परंतु वस्तुतः यह कदम अंग्रेजी उपनिवेशवाद के व्यापार हितो की रक्षा करने के उद्देश्य से लिये गये थे न कि देश के श्रमिकों के हितो को पोषित करने के लिए।

सन्1947 में देश के आजादी के पश्चात् 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू हुआ तथा संविधान के

प्रस्तावना अनुसार देश के सभी नागरिकों को समाजिक, आर्थिक एवं राजनितिक न्याय दिलाना ही संविधान का मूल लक्ष्य है। संविधान में मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त के कई ऐसे अनुच्छेद मूलतः श्रमिकों के हितों के पोषण के लिए प्रावधानित किए गये है, जैसे अनुच्छेद19– स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23– मनुष्य के अवैध व्यापार एवं बेगार पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 24– बच्चों से खतरनाक नियोजनों में कार्य लिए जाने पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 39– समान कार्य हेतु समान वेतन, अनुच्छेद 41– कार्य का अधिकार, अनुच्छेद 42– कार्य स्थल पर समुचित व्यवस्था एवं मातृत्व लाभ, अनुच्छेद 43– जीविकोपार्जन मजदूरी दर, अनुच्छेद 43ए – प्रबंधन में कामगारों की भूमिका इत्यादि। मौलिक अधिकारों से इतर राज्य के नीति–निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालायों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे देश के प्रशासन का मूलभूत आधार है और सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून बनाने में इन सिद्धांतों का पालन करें।

भारतीय संविधान के अन्तर्गत श्रम समर्वती सूची का विषय है। अतः राज्यों को भी इस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तथा राज्य एवं केन्द्र दोनों का दायित्व अपने–अपने क्षेत्राधिकार में श्रम अधिनियमों के प्रर्वतन का है। इसी परिपेक्ष्य में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई श्रम अधिनियमों का सृजन किया गया है तथा **इन श्रम अधिनियमों में श्रमिकों के संरक्षण, स्वास्थ्य, कार्य स्थल पर सुरक्षा, समाजिक सुरक्षा इत्यादि पर अधिक बल दिया गया है, जैसे– औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976, भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (सेवा विनियमन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1996, असंगठित कामगार समाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 इत्यादि।**

वर्ष 1966 में श्री जगजीवन राम, केन्द्रीय श्रम मंत्री के सेवा काल में डॉ0 गजेन्द्रघढ़कर की अध्यक्षता में पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया। आयोग को वर्ष 1947 के पश्चात् श्रम अधिनियमों एवं श्रमिकों के जीवन–यापन पर पड़े प्रभाव पर अध्ययन का कार्य सौपा गया। आयोग द्वारा वर्ष 1969 में भारत सरकार को रिपोर्ट समर्पित किया गया, जिसमें श्रमिकों के प्रशिक्षण, शिक्षा तथा कल्याण पर बल दिया गया साथ ही समाजिक सुरक्षा, आवासन, पेशागत बीमारी, कार्य स्थल पर

सुरक्षा, कार्य स्थल पर महिला श्रमिकों से संबंधित व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी, औघोगिक संबंध इत्यादि पर अनुशंसा की गयी।

उक्त अनुशंसाओं के आलोक में कई श्रम अधिनियमों में संशोधन किया गया जैसे– कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, औघोगिक विवाद अधिनियम, 1947, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, वही कुछ नये श्रम अधिनियम अधिनियमित किये गये जैसे–ठेका मजदूर (विनियमन एवं प्रतिषेध) अधिनियम, 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986। प्रथम श्रम आयोग के अनुशंसाओं के आलोक में ही राष्ट्रीय श्रम संस्थान का गठन 1972 में किया गया।

दूसरा राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन डॉ0 रविन्द्र वर्मा, पूर्व केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर, 1999 में किया गया तथा आयोग को संगठित क्षेत्र में लागू श्रम अधिनियमों को पुर्नगठित करने का दायित्व, असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु छत्र (Umbrella) अधिनियम, भारतीय अर्थव्यवस्था, अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं भविष्य में श्रम बाजारों की मांग एवं आवश्यकताओं, कौशल प्रशिक्षण इत्यादि पर सुझाव देने का कार्य सौंपा गया। दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग ने 29 जून, 2002 में भारत सरकार को रिपोर्ट सौंपा जिसमें भूमंडलीकरण के दौर में रोजगार को सभी नीतियों के केन्द्र बिन्दु में रखने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी अनुतोष (Relief), सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि विशेष कर ऐसे क्षेत्रों में जो निम्न आय वर्ग को प्रभावित करता हैं तथा श्रम अधिनियमों को सरल एवं पुर्नगठित करने का परामर्श दिया गया। इसके अतिरिक्त समाजिक सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय स्तर पर नीति गठित करने का परामर्श भी दिया गया।

<u>वर्तमान परिदृश्य</u>

वर्ष 1991 देश की आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष देश के आर्थिक नीति में अमूल चूक परिवर्तन लाये गये, देश की अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण, निजीकरण एवं उदारीकरण को महत्व दिया गया एवं विश्व अर्थव्यवस्था के साथ प्रतिर्स्पधा बने रहने के लिए कई नीतिगत बदलाव लाये गये अथवा लाये जा रहे हैं। इन बदलावों से श्रम बल भी अछूता न रहा। एक ओर जहाँ व्यापार जगत की मांग कि अधिकांशतः श्रम अधिनियम दसको पुराने हैं तथा इन अधिनियमों को पुर्नगटित कर व्यापार के दृष्टिकोण से और अधिक सरल, अनुकूल तथा तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है, वही दूसरी तरफ ऐसे असंख्यक श्रमिकों

की गरीबी, अशिक्षा, असमानता के कुचक्र से निकलने की आकांक्षा एवं उनमें व्याप्त भय की नई परिस्थितियाँ उनके लिए और अधिक दोहनकारी सिद्ध होंगी। ऐसी परिस्थिति में दोनो पक्षो के बीच सामंजस्य एवं आपसी सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता है।

सर्वविदित है कि देश का श्रम बल अन्य देशों के तुलना में बहुत अधिक सस्ता है। इस सस्ते श्रम बल के सहारे विकास का आयाम तय करना कही ना कही अधूरा होगा एवं केवल कुछ लोगों के विकास तक ही सिमित रहेगा तथा इसके नकारात्मक प्रभाव से समाज में असामानता एवं क्षेत्रीय असंतुलन और अधिक बढ़ेगी।

वर्तमान चुनौती पूर्ण माहौल में आवश्यक है कि ऐसी श्रम नीति अपनायी जाय जहाँ श्रमिक एवं नियोजक एक दूसरे के पूरक साबित हो, किसी एक की कीमत पर दूसरे को हानि न हो बल्कि परस्पर सहयोग एवं विश्वास के वातावरण में कार्य निष्पादित हो, औद्यौगिक उत्पादकता एवं गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी हो तथा इसका प्रतिफल उसी अनुपात में श्रम बल को भी मिले जो लाभ नियोजक प्राप्त करते हैं। ऐसा होने से श्रमिक वर्त्तमान के प्रति आश्वस्त एवं अपने भविष्य के प्रति आशान्वित रहेंगे।

दृष्टि

श्रम नीति के माध्यम से राज्य सरकार, विशेष तौर पर निर्धन, वंचित एवं उपेक्षित वर्गो के श्रमिकों की रक्षा करने के साथ, औद्यौगिक उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए कार्य स्थल पर स्वस्थ्य माहौल का निर्माण सुनिश्चित करना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार सभी संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना चाहती है एवं इन श्रमिकों का कौशल प्रशिक्षण कर इन्हें और अधिक दक्ष एवं रोजगारोन्मूख बनाता चाहती है ताकि इनके जीवन स्तर में गुणवत्तापूर्ण बदलाव आ सके।

लक्ष्य

श्रम अधिनियमों एवं श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के साथ राज्य के सभी श्रमिकों को कार्य स्थल पर समुचित वातावरण, पेशागत सुरक्षा, स्वास्थ्य, वेतन/भत्ता, समाजिक सुरक्षा इत्यादि सुनिश्चित कराना।

औद्यौगिक संबंध

राज्य सरकार प्रदेश में शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण औद्यौगिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आमतौर पर राज्य में औद्यौगिक वातावरण शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहता है एवं छिटपूट हड़ताल अथवा तालाबंदी की घटना को छोड़कर कोई विशेष घटना प्रकाश में नहीं आयी है। चूँकि औद्यौगिक अशांति का मुख्य कारण वेतन–भत्तों, बोनस, कार्मिक छंटनी, हिंसा अथवा अनुशासनहीनता होते हैं। अतः राज्य सरकार ऐसी कारणों के रोकथाम एवं अन्य विधिसम्मत् कार्रवाई हेतु प्रावधानिक श्रम अधिनियम जैसे– कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, श्रमिक संघ अधिनियम, 1926, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936, औद्यौगिक अधिनियम (स्थायी आदेश) 1946, औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947, कारखाना अधिनियम,1948, प्रसुति सुविधा अधिनियम, 1961, बोनस भुगतान अधिनियम,1965, उपदान भुगतान अधिनियम,1972 इत्यादि के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। **इसके अतिरिक्त राज्य सरकार नियोजक–नियोजित के संबंधो को परिभाषित करने हेतु दोनो पक्षो के लिये मॉडल आचार संहिता का समर्थन करती है जिसे दोनो पक्षों के हित में वैधानिक दर्जा भी दिया जा सकता है।**

राज्य सरकार श्रम न्यायालय एवं औद्यौगिक न्यायाधिकरण में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित किये जाने की संभावनाओं पर विचार करेगी तथा प्रत्येक जिले में श्रम न्यायालय स्थापित करने का विचार रखती है एवं आवश्यकतानुसार राज्य में औद्योगिक न्यायाधिकरण के संख्या का विस्तार चाहती है। वर्तमान में लोक अदालतों की प्रक्रिया के माध्यम से भी कई मामलो को आपसी सहमति से सुलझाया जाता है तथा इन लोक अदालतों के और अधिक आयोजन से अदालतों में लंबित मामलों में कमी आ सकेगी। राज्य सरकार श्रम न्यायालयों, औद्यौगिक न्यायाधीकरण अथवा लोक अदालतों में लंबित मामलों के निष्पादन् हेतु हर संभव सहयोग प्रदान करेगी।

श्रमिक संघ अधिनियम, 1926 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रमिक संघों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। **श्रमिक संघों को अपनी विचारधारा प्रगतिशील एवं सकारात्मक रखनी चाहिए तथा अपने आंतरिक लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहिए।** जहाँ तक संभव हो द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही छोटे एवं कम जटिल मुद्दो को सुलझा लेना चाहिए। कठिन/जटिल विवाद को सुलझाने के लिए श्रम अधीक्षक से लेकर श्रमायुक्त तक त्रिपक्षीय संराधन वार्ता के माध्यम से विवाद सुलझाने की व्यवस्था

है, तथा अधिकांशतः विवादों को संराधन वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अनावश्यक हड़ताल एवं तालाबंदी को रोकने हेतु राज्य सरकार कुछ प्रमुख सेवाओं एवं उद्योगों को औद्यौगिक विवाद अधिनयम, 1947 के अन्तर्गत जन उपयोगी सेवा घोषित करेगी।

उद्योग एवं व्यवसायों पर कई प्रकार के श्रम अधिनियम लागू होता है तथा कई बार इनके प्रवर्त्तन में जटिलता आती है साथ ही उद्योग व्यवसाय संचालकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त निबंधन, अनुज्ञप्ति इत्यादि की सेवा प्राप्त करने में प्रक्रियात्मक जटिलता सामने आती है एवं उद्योग, व्यवसाय संचालक को वर्ष में कई विवरणी दायर करने का कार्य करना पड़ता है, जो जटिल है। राज्य सरकार श्रम अधिनियमों को सरलीकृत, व्यवहारिक एवं तर्कसंगत बनाने के पक्षधर है तथा प्रक्रियात्मक जटिलता को समाप्त कर श्रम अधिनियमों के दायरे में प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सेवाओं का निष्पादन प्रावैधिकी के उपयोग से तय समय सीमा के अन्दर करने हेतु संकल्पित है।

राज्य सरकार ''औद्यौगिक संबंधों'' पर नियमित अंतराल में श्रमिक संघों एवं प्रबंधन पक्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी ताकि सभी पक्ष एक दूसरे के अनुभवों का लाभ प्राप्त कर औद्यौगिक शांति एवं सामंजस्यपूर्ण वातावरण स्थापित करने में सहयोग दे सके।

मजदूरी भुगतान एवं समाजिक सुरक्षा

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उद्देश्य विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा करना है। राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 88 अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी की दर में बढ़ोतरी अखिल भारतीय सूचकांक (औ0श्र0) के आलोक में वर्ष में दो बार क्रमशः अप्रैल एवं अक्टूबर में करती है। ऐसा न्यूनतम मजदूरी को महँगाई के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। सरकार भविष्य में भी ससमय न्यूनतम मजदूरी की दरों में आवश्यक बढ़ोतरी करने हेतु प्रतिबद्ध है एवं और अधिक नियोजनों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अधिसूचित नियोजन के श्रेणी में लायेगी ताकि अधिक से अधिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम,1948 से लाभान्वित किया जा सके। इस अधिनियम के अन्तर्गत श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी से श्रमायुक्त तक को निरीक्षण की शक्तियाँ प्रदान की गई है। चूँकि यह मजदूरी न्यूनतम है, अतः समाज, व्यवसायिक वर्ग, उद्योग जगत

को यथासंभव न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान करना चाहिए तथा न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीवन–यापन मजदूरी की परिकल्पना को साकार करना चाहिए। ऐसा करने से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा एवं प्रदेश में निम्न मध्यम वर्ग के रूप में एक वृहद बाजार तैयार हो सकेगा, जिसका प्रतिफल उद्योग धंधे एवं व्यवसाय पर भी सकारात्मक पड़ेगा।

केन्द्र प्रायोजित योजना विशेषकर मनरेगा के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी से अलग दर पर मजदूरी का भुगतान होता है। राज्य सरकार समान कार्यो के लिए समान पारिश्रमिक की पक्षधर हैं एवं मनरेगा कर्मियों को भी न्यूनतम मजदूरी की दर से मजदूरी का भुगतान का समर्थन करती है।

श्रमिकों का मजदूरी निर्धारण अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, अतिकुशल एवं पर्यवेक्षिय कोटि के अनुसार होता है। कई वर्षो तक एक ही कोटि में कार्य करने के बावजूद श्रमिकों की पदोन्नति कोटिवार नहीं होती तथा आजीवन वे एक ही कोटि के श्रमिक के रूप में मजदूरी पाते रहते हैं। राज्य सरकार ऐसे श्रमिकों को एक कोटि से दूसरी कोटि में पदोन्नति हेतु कालअवधि एवं प्रशिक्षण को मापदंड मानते हुए पैमाना तय करेगी।

राज्य सरकार देश भर में मजदूरी की दरों को समान्तर रखने और इसके बीच असामानता को कम करने के उद्देश्य से 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग के सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय बुनियादी न्यूनतम मजदूरी की सुझाव का स्वागत करती है तथा इसके निर्धारण में सभी राज्यों के आर्थिक एवं समाजिक स्थिति को भी विचारित किया जाना आवश्यक मानती है।

राज्य सरकार के द्वारा कई समाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्तियों तक पहुँचाना आवश्यक है। प्रावौधिकी के उपयोग से इन योजनाओं में बिचौलिए इत्यादि की भूमिका समाप्त करना है ताकि इन योजनाओं का राशि तय समय सीमा के अन्दर सीधे लाभुक के खाते में अंतरित किया जा सके। इन योजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो प्रावैधिकी के उपयोग से प्रक्रियात्मक जटिलता को समाप्त कर तंत्र को तीव्र, संवेदनशील एवं उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है।

दुकानो एवं प्रतिष्ठानों में कम मजदूरी भुगतान अथवा बेगार की संभावना बनी रहती है तथा जहाँ श्रमिक नौकरी से हटाये जाने के डर से शिकायत नहीं करते हैं। राज्य सरकार ऐसे

श्रमिकों के हितों के लिये उनके बैंक खातो अथवा डाकघर खातों में मजदूरी भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। **यह व्यवस्था वैसे दुकान एवं प्रतिष्ठान पर लागू होगी जहाँ नियोजित नियोक्ता का संबंध तात्कालिक न हो कर लम्बी अवधि का हो।**

<u>निर्माण श्रमिक</u>

कृषि के बाद निर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक कामगार नियोजित हैं। इन निर्माण कामगारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड निर्माण कामगारों का निबंधन करती है एवं निबंधित निर्माण कामगारों को बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित किया जाता है। निबंधित निर्माण कामगारों का एक समुचित डाटाबेस आवश्यक है जिससे कि निबंधन/योजनाओं के लाभ में पुर्नरावृति की आशंका को समाप्त किया जा सके। वर्तमान में बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का प्रर्वतन किया जा रहा है तथा भविष्य में आवश्यकता अनुसार बोर्ड द्वारा नयी कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जायेगा अथवा पुरानी योजनाओं में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

बोर्ड राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा के दायरे में लायेगी एवं आवश्यकतानुसार केन्द्रीय अथवा राज्य की समाजिक सुरक्षा योजनाओं से निर्माण श्रमिकों को आच्छादित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सेस के माध्यम से बोर्ड के अन्तर्गत संचित निधि के बेहतर प्रबंधन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी ताकि उक्त निधि का अधिक से अधिक लाभ निर्माण कामगारों को उपलब्ध कराया जा सके। बोर्ड निर्माण कामगारों के कौशल संवर्धन हेतु विशेष प्रयास करेगी। निर्माण कामगारों के कौशल प्रशिक्षण उपरान्त उन्हें और अधिक रोजगारउन्मुख बनाया जा सकेगा।

<u>बीड़ी श्रमिक</u>

राज्य के कई जिले विशेषकर जमुई, बांका, समस्तीपुर इत्यादि में बड़ी संख्या बीड़ी निर्माण के व्यवसाय से जुड़े हुए श्रमिक रहते हैं तथा इन बीड़ी श्रमिकों के नियोजन के शर्तो एवं इनकी सेवा को विनियमित करने हेतु बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन के शर्ते) अधिनियम, 1966 राज्य में लागू है। इसके अतिरिक्त राज्य में बीड़ी श्रमिकों के लिए केन्द्र प्रायोजित आवासीय योजना भी लागू है। बीड़ी श्रमिकों का पहचान पत्र भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के अधीन कार्यरत कार्यालयों द्वारा

निर्गत किया जाता है। अतः आवश्यक है कि केन्द्रिय कार्यालयों के साथ समुचित ताल–मेल स्थापित किया जाय ताकि अधिक से अधिक बीड़ी श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।

बीड़ी एवं सिगार कामगार (सेवा–शर्त्ते) अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यस्थालों पर साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, प्राथमिक उपचार, शिशु गृह, भोजनालय इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

बंधुआ मजदूरी

राज्य सरकार बंधुआ मजदूरी का घोर निन्दन करती है तथा बंधुआ मजदूरी (प्रतिषेध) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों एवं बंधुआ मजदूर पुर्नवास योजना को अक्षरशः प्रवर्त्तन/क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। बंधुआ मजदूरी के अनेक कारक हैं, परन्तु इनमें से प्रमुख है ऋण, जो गरीब एवं लाचार श्रमिक बीमारी, विवाह, गृह निर्माण/मरम्मति इत्यादि कारणों से लेते है तथा ससमय ऋण ना चुका पाने की स्थिति में ब्याज की दर गरीब श्रमिक को बंधुआ मजदूर बनने पर विवश कर देती है। इसके रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रो में लघु ऋण की संरचना स्थापित किया जायेगा ताकि इस अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सके।

देश के अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में बिहारी श्रमिक बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो वापस लौटते है। श्रमिकों को प्रवसन से पूर्व आवश्यक जानकारी एवं सचेत रहने की आवश्यकता है जिसमें प्रचार–प्रसार के तंत्र जैसे–प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार प्रचार प्रसार की दिशा में आवश्यक कदम उठायेगी।

विमुक्त बंधुआ मजदूरों को आर्थिक एवं समाजिक रूप से पुर्नवासित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर अपने क्षेत्राधिकार में विमुक्त बंधुआ मजदूर को पुर्नवासित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

असंगठित क्षेत्र में समाजिक सुरक्षा

राज्य के कुल श्रम बल का लगभग 95% असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। अधिकांशतः श्रम अधिनियमों में श्रमिकों की कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, नियमित वेतन एवं अन्य लाभ, समाजिक सुरक्षा इत्यादि से संबंधित प्रावधान संगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों पर लागू होते हैं। बहुसंख्यक श्रमिक इन अधिनियमों के दायरे में नहीं आ पाते हैं, जिससे न तो इन्हें कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि की सुविधा मिल पाती है न ही

समाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाते हैं। राज्य सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगार विशेष करके घरेलू कामगार, रिक्शा, ठेला चालक, फेरीवाले, फुथफाती दुकानदार, सब्जी–फल विक्रेता अथवा स्व–नियोजित कामगारों के लिए नयी समाजिक सुरक्षा योजना लायेगी एवं वर्तमान में लागू योजना यथा ''बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार का समाजिक सुरक्षा योजना, 2011'' को और अधिक प्रभावी बनाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों को समाजिक सुरक्षा से आच्छादित करने हेतु राज्य सरकार अधिनियम लागू करेगी।

असंगठित कामगार समाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित बिहार समाजिक सुरक्षा बोर्ड को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के समाजिक सुरक्षा दायित्वों की पूर्ति हेतु एक प्रभावी संस्थान के रूप में विकसित किया जायेगा।

कार्य स्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था एवं कल्याण

कार्य स्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था न कि सिर्फ श्रमिकों के लिए आवश्यक है बल्कि इसका प्रत्यक्ष संबंध औद्यौगिक उत्पादकता से भी है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत श्रमिकों के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के व्यापक प्रावधान किये गये हैं तथा इन्हें कड़ाई से लागू करने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। कारखाना श्रमिकों को पेशागत बीमारियों से संरक्षित किये जाने की आवश्यता है, तथा इस कार्य हेतु राज्य सरकार बिहार कारखाना नियमावली, 1950 में आवश्यक संशोधन करेगी।

कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान जैसे क्रेच की सुविधा, पालनाघर, शौचालय इत्यादि आवश्यक है। राज्य सरकार इन सुविधाओं को कार्य स्थल पर उपलब्ध कराने हेतु वैधानिक प्रावधानों को कड़ाई से लागु करेगी। साथ ही कार्य स्थल जहाँ कम संख्या में श्रमिक नियोजित किये जाते हैं, वहाँ कार्यो के सुरक्षित तरीके से निष्पाद्न हेतु न्यूनतम सुरक्षा उपाय एवं उपकरण की उपलब्धता पर नियोजक/ संवेदक/ मुख्य नियोजक हेतु मापदंड निर्धारित किये जायेगें। **साथ ही सभी विभाग भी अपने–अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य हेतु कार्य स्थल पर न्यूनतम सुरक्षा एवं उपकरण के उपलब्धता का मापदंड निर्धारित करेंगे।** कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुरक्षा एवं त्वरित कार्रवाई हेतु विशेष प्रावधान किये जाएगें।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अन्तर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को निबंधित किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित अस्पतालों एवं

औषधालयों में मूलभूत, गुणवत्तापूर्ण एवं विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ई0एस0आई0सी0 को हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

<u>बाल श्रम</u>

बच्चे देश का भविष्य है तथा उनका सही स्थान विद्यालय अथवा खेल का मैदान है न कि कल–कारखाने, खेत–खलिहान, दुकान, होटल, ढ़ाबे इत्यादि। बाल श्रम देश के भविष्य पर प्रतिघात करता है एवं इसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। बाल श्रम के निषेध हेतु केन्द्र सरकार द्वारा बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 अधिसूचित किया गया है एवं इस अधिनियम का प्रवर्त्तन कड़ाई से किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा भी बाल श्रम निषेध एवं बाल श्रमिकों के पुर्नवास हेतु कई कदम उठाये गये है। बाल श्रमिकों को पुनः बाल श्रम के कुचक्र में फँसने से रोकने के लिए आवश्यक है कि उन्हें एवं उनके परिवार को आर्थिक, समाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पुर्नवासित किया जाय तथा इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी संबंधित विभागों को आपसी सम्वन्य के साथ कार्य करना होगा। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए बाल श्रम के उन्मूलन, विमुक्ति एवं पुर्नवास हेतु राज्य कार्य योजना वर्ष 2009 में अधिसूचित की गई थी। यह राज्य कार्य योजना अभिसरण के सिंद्धान्त पर प्रतिपादित की गई थी तथा संबंधित विभागों को विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास की जिम्मेदारी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दी गयी है। वर्ष 2009 के बाद हुए बदलावों के दृष्टिगत इस राज्य कार्य योजना में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

राज्य सरकार विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्य धारा के विद्यालयों अथवा कौशल प्रशिक्षण हेतु विशेष केन्द्रों के संचालन का विचार रखती है। इन केन्द्रों में विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्य धारा के विद्यालयों में नामांकित अथवा व्यवसायिक शिक्षा से संबद्ध होने हेतु शैक्षणिक एवं मानसिक रूप से तैयार किया जायेगा।

बाल श्रमिकों के आलावा ऐसे भी बच्चे हैं जो अनाथ अथवा बेसहारा हैं। ये बच्चें जीविकोपार्जन हेतु फुथपाट पर छोटे समानों की बिक्री, कुड़ा चुनने का काम इत्यादि करते हैं। बिना संरक्षण एवं देख–भाल के कई बार ऐसे बच्चे नशे के आदि हो जाते है अथवा अपराध में लिप्त हो समाज के मुख्य धारा से कट जाते हैं। ऐसे बच्चों के वर्तमान एवं भविष्य को उज्ज्वल बनाने हेतु निर्दिष्ट योजना प्रारंभ किया जायेगा।

रोजगार एवं कौशल विकास

बिहार राज्य में युवाओं की आबादी अधिक है एवं जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जनसांख्यिकिय लाभांश की स्थिति में है। इस युवाओं के उज्जवल भविष्य हेतु आवश्यक है कि रोजगार के समुचित अवसर सृजित किये जाये एवं युवाओं/श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाय। पर्याप्त कौशल विकास केन्द्रों के अलावा कार्य स्थल पर भी युवाओं/श्रमिकों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने आवश्यकता है ताकि कार्य दिवसों की हानि ना हो। वैद्य प्रमाणन के अभाव में युवाओं/श्रमिकों की दक्षता का पता नहीं चलता है तथा वे अल्प वेतन प्राप्त करते हैं, अतः आवश्यक है कि कौशल प्रशिक्षण के पश्चात् श्रमिकों का मूल्यांकन किया जाय तथा उन्हें प्रमाण–पत्र दिया जाय।

रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण, मूल्यांकन, प्रमाणन के अलावा आवश्यक है कि बेरोजगार युवकों/ श्रमिकों को एक ऐसा माध्यम उपलब्ध कराया जाय जहाँ वे निबंधित हो तथा उनकी उपलब्धता रोजगार/बाजार में सुलभ हो। **ऐसा माध्यम सेवा प्रदाता एवं ग्राहक को एक मंच पर लायेगा तथा युवाओं/श्रमिकों के लिए रोजगार सुलभ हो सकेगा। राज्य सरकार ऐसे माध्यम के सफल क्रियान्वयन का विचार रखती है।**

औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाएगा जो वर्तमान समय में अधिक रोजगार आकर्षित करते हो साथ ही पाठ्यक्रम को उद्योग/व्यवसाय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों की आधारभूत संरचना में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। छात्रों के अनुपात में अनुदेशक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु आवश्यक है तथा इस उद्देश्य हेतु हर संभव प्रयास किये जायेंगे। औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थानों से उर्त्तीण छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक है कि विभिन्न उद्योगो एवं व्यवसायों के साथ अग्रवर्ती संबंध (Forward Linkage) स्थापित किया जाय।

राज्य से बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार की तलाश में देश के अन्य राज्यों में प्रवसन करते है। इन श्रमिकों के सुरक्षित प्रवसन हेतु आवश्यक है कि वे जागरूक हो ताकि दलालों के चंगुल में न फंसे। इसके अतिरिक्त इन श्रमिकों को समाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादित किया जाना भी आवश्यक है। वर्तमान में प्रवासी श्रमिकों के हितो के पोषण हेतु बिहार भवन, नई दिल्ली में संयुक्त श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक के पद सृजित हैं। **ऐसे गणतव्य राज्य, जहाँ बड़ी संख्या में बिहारी श्रमिक प्रवसन**

करते हैं, में श्रमिकों को प्रवसन, समाजिक सुरक्षा योजनाओं, फर्जी एजेन्टों एवं श्रम अधिनियमों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने समुचित प्रबंध किया जायेगा। यह प्रबंध श्रमिकों को प्रवसन के उद्गम एवं गणतव्य स्थान पर आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

<u>शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास–</u>

मानव संसाधन के सतत् प्रगतिशील एवं क्रियाशील बने रहने में शोध, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। बदलते दौर में नीत नयी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक है कि मानव का नियमित क्षमता विकास होता रहे तथा इस कार्य हेतु अध्ययन संस्थान की नितान्त आवश्यकता है, जो श्रम एवं नियोजन जैसे मुद्दों पर सरकार हेतु थिंक टैंक की भूमिका में रहे तथा श्रम एवं नियोजन के मुद्दो पर अध्ययन, शोध, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण का कार्य करे। सरकार ऐसे संस्थान के स्थापना का विचार रखती है। संस्थान में पदाधिकारी, कर्मचारी एवं अन्य के क्षमता विकास हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा यह संस्थान पूर्वी भारत में श्रम एवं नियोजन जैसे विषयों हेतु सेन्टर ऑफ एक्सेलेंस (Centre of Excellence) के रूप में विकसित होगा। संस्थान में श्रम एवं नियोजन संबंधित डिप्लोमा एवं डिग्री कोर्स का संचालन भी किया जाएगा।

राज्य सरकार निगम, निकाय, बोर्ड, उपक्रम इत्यादि में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष बिहार श्रम पुरस्कार प्रदान करेगी साथ ही सरकार में भी उत्कृष्ट कार्य/उल्लेखनीय योगदान देने वाले कर्मियों/पदाधिकारियों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जायेगा।